

न्यायालय—सिविल जज (सीनियर डिवीजन) वाहय न्यायालय, मोहम्मदी
लखीमपुर खीरी।

प्रा० दीवानी वाद सं०—०१/२०२३
CNR No UPLP10014668-2023
अनीमुल्ला खॉ बनाम अकरम आदि

04.04.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी पक्ष अनुपस्थित है। प्रतिवादी पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। वादी पक्ष की तरफ से न तो उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है, न ही वादी पक्ष की तरफ से कोई अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। उक्त पत्रावली वादी साक्ष्य नियत है। पत्रावली पर वादी पक्ष को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये गये हैं, किन्तु वादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चला आ रहा है, न ही साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को अपने वाद के संचालन में कोई रुचि नहीं रह गयी है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत वादी का वाद वादी की अनुपस्थिति में व प्रतिवादी की उपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(नीरज गोंड)
यू०पी०२३८४
सिविल जज (सी०डि०)
मोहम्मदी—खीरी।
04.04.2025